कार्यालय मुख्य प्रबन्धक / संभागीय प्रबन्धक / प्रबन्धक
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र————————
राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का व्यवसाय करने हेतु पंजीकरण / नवीनीकरण बाबत

इकरारनामा

मैं ——————————————————— मालिक / भागीदार मैसर्स ——————————————————— मोहल्ला ———————————————— ग्राम ——————————————तहसील —————————————— जिला ————————————— राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र ————————————— से राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें खरीद कर खुदरा बिक्री करने हेतु निम्नांकित शर्तो का पालन करने का इकरार करता हूँ। शर्तो का पालन न किये जाने की दशा में मण्डल को मेरे पंजीकरण को निरस्त करने, किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाने तथा न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करता हूँ। न्यायिक कार्यवाही की दशा में सम्बन्धित वितरण केन्द्र जिस स्थान पर स्थित है न्याय क्षेत्र माना जायेगा।

1. राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही बेचने हेतु बाध्य रहूंगा। पुस्तकों के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करते पाये जाने पर पंजीकरण को निरस्त करने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार मण्डल को होगा।
2. यदि मण्डल भविष्य में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का मूल्य बढायेगा अथवा संशोधन करके घटा देता है तो मैं/ हम हमारे पास उपलब्ध क्रय मूल्य पर क्रय की हुई एवं रखी हुई पाठ्यपुस्तकों को पुरानी कीमतों पर ही विक्रय करता रहूंगा/ रहेंगे। बढ़े हुये मूल्य पर केवल वे ही पुस्तकें बेच सकेंगे जिन पर बढ़ा हुआ मूल्य छपा हुआ होगा। यदि अधिक मूल्य पर पुस्तकें बेची हुई कभी भी साबित होगी तो मण्डल को अधिक वसूल की गई राशि हमारी फर्म से वसूल करने एवं पंजीकरण रद्ध करने का अधिकार होगा।
3. मैं मण्डल द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की नकली प्रति (जाली) नहीं बेचूंगा, पुस्तकों की कुन्जी अथवा नोट्स का प्रकाशन अथवा विक्रय नही करूंगा, अपनी दुकान पर राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की कुंजियां नोट्स व पासबुक का स्टॉक भी नही रखूंगा, न ही जबरदस्ती राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के साथ कोई अन्य सामग्री लेने को बाध्य करूंगा।
4. मैं मण्डल से खरीदी गई पुस्तकों का विक्रय केवल उपभोक्ताओं को करूंगा। किसी भी पुस्तक विक्रेता को थोक में नहीं बेचूंगा। पाठ्यपुस्तकों की मूल्य सूची का प्रदर्शन दुकान के मुख्य स्थान पर करूंगा। जिसके अनुसार ही पुस्तकों का विक्रय करूंगा एवं स्टॉक रजिस्टर का संधारण करूंगा।
5. मेरी दुकान के पते पर मेरे परिवार का अन्य कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण नहीं करा सकेगा न ही मेरी फर्म का मण्डल के अन्य किसी केन्द्र पर पंजीकरण कराऊंगा।
6. राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के प्राप्त करने व बेचने का रजिस्टर अथवा अन्य प्रपत्र प्रबन्धक अथवा मण्डल के अधिकारी / कर्मचारी द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर प्रस्तुत करूंगा।
7. पंजीकरण का नवीनीकरण करा लिया जावेगा अन्यथा पुस्तकें प्राप्त करने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष मई माह तक नवीनीकरण न कराये जाने पर विलम्ब शुल्क पांच रूपये प्रतिमाह दूंगा। पंजीकरण / नवीनीकरण की अवधि समाप्ति पश्चात् एक वित्तीय वर्ष तक नवीनीकरण नहीं कराने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जावेगा। किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में मण्डल के सचिव अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा चाही गई सूचना स्वेच्छापूर्वक दूंगा।
8. दुकान / व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन अथवा बन्द करने की स्थिति में उसकी सूचना राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर एवं सम्बन्धित डिपो को अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से दूंगा।
9. मेरे व्यवसाय स्थल पर किसी भी प्रकार की निःशुल्क वितरण वाली पुस्तकों को न तो क्रय करूंगा न विक्रय करूंगा और न ही भण्डारण करूंगा। निरीक्षण के समय यदि निःशुल्क वितरण की पाठ्यपुस्तकें संस्थान में पाई जाती हैं तो इन पुस्तकों के लिए मण्डल आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
10. विक्री वाली राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को बेचने के लिए जो मेरी दुकान से लेना चाहे पर्याप्त भण्डार रखूंगा एवं पुस्तकें रखने हेतु गोदाम की व्यवस्था रखूंगा।
11. मण्डल द्वारा समय—समय पर जारी नियमों, दिशा निर्देशों का पालन करता रहूंगा।
12. यह इकरारनामा तब तक मान्य रहेगा जब तक कि उक्त दुकान का पंजीकरण मान्य / वैध रहेगा। मान्य बिक्री कर तथा आयकर निष्पादक प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त करके प्रतिवर्ष मण्डल के निर्देश के अनुसार प्रस्तुत करता रहूंगा। व्यवसाय बन्द करने की दशा में मण्डल की कोई बकाया राशि होने पर मण्डल उक्त बकाया राशि को मेरी चल/ अचल सम्पत्ति से वसूल करने का अधिकारी होगा।
13. सचिव राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल जयपुर को किसी प्रकार के नियमों अथवा इकरारनामे की सीधी शर्त का उलंघन करने के कारण जिसमें वह असंतुष्ट हो जाये पंजीकरण रद्ध करने का अधिकार होगा।
14. माह जुलाई एवं अगस्त के अन्त में पुस्तकों के शेष स्टॉक का विवरण प्रस्तुत करूंगा जो विभाग (मण्डल) के अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के उपरान्त पुष्टि किया जा सकेगा।
15. किसी भी विवाद की दशा में सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल का निर्णय मान्य होगा।

उपरोक्त नियमों एवं शर्तो पर मैं ————————————— पुत्र श्री ——————————————— निवासी ———————————————————— आज दिनांक ——————————— माह ——————————— सन ———————— को इकरार करता हूँ।

हस्ताक्षर गवाह मय नाम व पता स्पष्ट शब्दों मे
(केवल पंजीकृत पुस्तक विक्रेता द्वारा)

हस्ताक्षर दुकानदार मय नाम दुकान का पूरा पता
(हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण स्थानीय नोटरी पब्लिक द्वारा कराया जावे)